30-05-18

30/5/18 आज प्र०सा० ऊना कोर्ट में व्यस्त होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 8/8/18 को पेश हो

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

15678 पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। पत्रावली में उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी भगत का मूल वाद आईडीएफ व अन्य निषेधाज्ञा एवं स्थायी मुहाफी से सम्बन्धित होने के कारण अपीलीगण के आवेदन निषेधाज्ञा को पुष्टि निश्चित किया जाता न्यायोचित नहीं। अतः पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा को मय किया जाता है तथा अपीलीगण के मूल वाद के निस्तारण तक मय अवसर से अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्टि निश्चित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बहतीन मौजा स्थित आ.ब.न. 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681 कुल किता 8 कुल रकबा 1-94 है। भूमि के सम्बन्ध में रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण फैसल शुमार होकर मय रिकार्ड वाद व फैसल पत्रावली लेखा शाखा है। मूल वाद के समान है। जिसपर माननीय लोक अदालत के समक्ष आपसी राजीनामा के आधार पर आदेश में लिखा जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा